20.8.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.पं. सिणधरी चौहीरा में पेश हुई। वकील वादीगण की ओर से दिनांक 26.6.18 को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो खारिज करने की पेश की गई थी। जो आज शामिल मिसल की गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादीगण अपना वाद को आगे चलाना नहीं चाहते है

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
क्योंकि वादीगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा करवा लिया गया है और उक्त वाद को खारिज किया जावे। हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। और पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि वादीगण स्वयं अपने वादपत्र को आगे चलाना नहीं है, क्योंकि आपसी सहमति से बंटवारा करवा लिया गया है जैसा प्रार्थना पत्र व वकील वादी ने बहस में जाहिर किया है ऐसी सूरत में वादीगण के वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिणधरी	

Scanned by CamScanner